भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1261
दिनांक 29 जुलाई, 2021 को उत्तर के लिए

ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण

1261. श्री नीरज डांगीः

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने विगत तीन वर्षों के दौरान देश में ग्रामीण महिलाओं के समग्र विकास के लिए कोई नई योजना लागू की है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) इन नई योजनाओं के अंतर्गत किये गए वित्तीय आवंटन का राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी **महिला एवं बाल विकास मंत्री**

(क) से (ग) : भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एमडब्लयूसीडी) ने समेकित महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रम के रूप में 'मिशन शक्ति' के तहत महिलाओं की संपूर्ण सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तिकरण के लिए एक नई अम्ब्रेला स्कीम वर्तमान वित्तीय वर्ष से शुरू करने का निर्णय लिया है जिसमें महिला सशक्तिकरण के राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर के केंद्र, महिला हेल्पलाइन, वन स्टॉप सेंटर, बेटी बचाओ बेटी पढाओ, सखी निवास या कामकाजी महिला छात्रावास, निराश्रित और संकटग्रस्त महिलाओं के लिए शक्ति सदन या गृह, शिशु गृह आदि जैसे घटकों को शामिल किया गया है ।

ग्रामीण महिलाओं को सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से सशक्त करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय नवंबर, 2017 से महिला शक्ति केंद्र(एमएसके) स्कीम क्रियान्वित कर रही है जिससे उन्हें सरकारी स्कीमों और कार्यक्रमों से जोडा जा सके और उनमें जागरूकता लाई जाए। महिला शक्ति केंद्र जिला स्तर पर बेटी बचाओ बेटी पढाओ (बीबीबीपी) स्कीम को आधार प्रदान करने का लक्ष्य भी रखती थी। स्कीम के तहत वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक की अवधि के दौरान आवंटित निधियां अनुलग्नक में देखी जा सकती हैं ।

इसके अलावा भारत सरकार के विभिन्न अन्य मंत्रालयों ने भी देश में ग्रामीण महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए अनेक कदम उठाए हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत कृषि और कल्याण विभाग की विभिन्न लाभार्थी उन्मुख स्कीमों के दिशा-निर्देश राज्यों और अन्य क्रियान्वयन एजेंसियों को महिला किसानों पर कम से कम 30 % खर्च करने का प्रबंधन करते हैं । कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय लघु कालीन प्रशिक्षण (एसपीटी) और पूर्व शिक्षा पहचान (आरपीएल) सहित एक प्रमुख स्कीम के रूप में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) का क्रियान्वयन करती है । पीएमकेवीआई के तहत ग्रामीण महिलाओं सहित

बेरोजगार युवाओं को रोजगार पाने और जीविका कमाने योग्य बनाने के लिए लघु अवधि प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है । 10.07.2021 तक पीएमकेवीवाई के तहत 47,21,529 महिला उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है ।

*****

अनुलग्नक

'ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण' विषय पर श्री नीरज डांगी द्वारा दिनांक 29.07.2021 को पूछे जाने वाले राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1261 के उत्तर के भाग (क) से (ग) में संदर्भित विवरण

विगत तीन वर्षों 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के दौरान महिला शक्ति केंद्र स्कीम के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार जारी की गई निधि ।

(रूपये लाख में))

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2018-19	2019-20	2020-21
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	20.58	41.04
2	आंध्र प्रदेश	277.2	21.13	0
3	अरुणाचल प्रदेश	151.35	334.38	0
4	असम	0	88.30	473.79
5	बिहार	25.83	48.62	0
6	चंडीगढ़	33.44	14.03	26.58
7	छत्तीसगढ	7.28	35.41	7.95
8	दादरा व नगर हवेली	0	10.48	51.67
	और दमन व दीव	6.15	19.90	
9	दिल्ली	0	0	0
10	गोवा	0	11.42	0
11	गुजरात	214.64	98.14	0
12	हरियाणा	6.91	94.57	13.39
13	हिमाचल प्रदेश	137.45	52.94	36.29
14	जम्मू और कश्मीर	241.71	34.44	0
15	झारखंड	0	29.71	0
16	कर्नाटक	169.83	122.43	244.13
17	केरल	74.26	34.32	0
18	लद्दाख	0	0	40.34
19	लक्षद्वीप	0	4.83	18.9
20	मध्य प्रदेश	479.02	31.46	0
21	महाराष्ट्र	144.63	22.88	0
22	मणिपुर	33.21	4.29	0
23	मेघालय	158.85	25.74	0
24	मिजोरम	166.77	140.11	86.01
25	नागालैंड	221.57	103.80	271.76
26	उड़ीसा	737.95	37.18	0
27	पुद्दुचेरी	9.18	14.30	0
28	पंजाब	87.50	7.30	7.56
29	राजस्थान	278.24	40.65	9.38
30	सिक्किम	99.85	4.29	0
31	तमिलनाडु	227.86	105.81	11.67
32	तेलंगाना	288.62	11.26	10.51
33	त्रिपुरा	125.50	0	0
34	उत्तर प्रदेश	362.13	17.16	11.67
35	उत्तराखंड	226.14	295.66	0
36	पश्चिम बंगाल	453.62	31.46	0
	कुल योग	**5446.69**	**1968.98**	**1362.64**